केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/113 दिनांक: 20.05.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00099
CICOM/R/2019/00299

अपीलकर्ता : श्री किशन चन्द,
एम-29, प्रथम तल, पिछली साईड,
हरीनगर, नई दिल्ली - 110064.

निर्णय की तारीख: 20.05.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	10.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.05.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	155/14.05.2019 (12346/13.05.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 25.03.2019 का पत्र संलग्न करते हुए, उक्त पत्र में दिए गए चार बिंदुओं पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी मांगी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 27.03.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के साथ अपीलकर्ता का दिनांक 25.03.2019 का कोई पत्र संलग्न नहीं था, बल्कि दिनांक 26.03.2019 का एक पत्र संलग्न था । दिनांक 26.03.2019 के पत्र में विषय ***"जनसूचना अधिकार 2005 के संदर्भ में सूचना"*** लिखा हुआ था, परन्तु उक्त पत्र के साथ कोई आवेदन शुल्क नहीं लगा था । अपीलकर्ता के दिनांक 26.03.2019 के पत्र का प्रतिउत्तर श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दिनांक 09.04.2019 को प्रेषित किया गया था एवं अपीललकर्ता के दिनांक 27.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना संचिका सं. CICOM/R/2019/00299 के माध्यम से दिनांक 10.04.2019 को प्रदान की गई । **श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।** अपीलकर्ता को पुन: अवगत करवाया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें जो आयोग की वेबसाईट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है ।

3. तद्रुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।